(4)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर – टोडाभीम, जिला : करौली, राज0।

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

RAS

मु0नं0 12/15

तारीख रजू :– 11-8-15

1. धर्मसिंह
2. भगोली

} पिसरान मोहरसिंह, जाति गुर्जर, निवासी निसूरा, तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

अपीलान्टस

बनाम

1. कल्याण पुत्र मोहरसिंह, जाति गुर्जर, निवासी निसूरा, तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।
2. किस्तूरी पत्नि गिरधर पुत्री मोहरसिंह, निवासी अकबरपुर, तह0 हिण्डौन, जिला करौली, राज0।
3. केशन्ती पत्नि देवीसिंह पुत्री मोहरसिंह, निवासी चॉदनगॉव, तह0 हिण्डौन, जिला करौली, राज0।
4. ग्राम पंचायत निसूरा, जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत निसूरा, तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत निसूरा नामान्तकरण 505 तारीखी 01.06.1971 ग्राम पंचायत निसूरा, तह0 टोडाभीम

निर्णय

दिनांक :– 8/2/17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत निसूरा, तह0 टोडाभीम के नामान्तकरण सं0 505 तारीखी 01.06.1971 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

नं0 01 ता 03 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है कि बीरबल के दो पुत्र मोहरसिंह व प्रभू थे। प्रभू लऔलाद फौत हो गया। मोहरसिंह के तीन पुत्र क्रमशः कल्याण सिंह रेस्पोडेन्ट नं0 01, धर्मसिंह, भागोली अपीलान्टस नं0 01 व 02 तथा दो पुत्री किस्तूरी व केशनती रेस्पोडेन्टस नं0 02 व 03 हैं। नामान्तकरण सं0 505 को तस्दीक फरमाते समय मृतक प्रभू के लाऔलाद फौत होने पर प्रभू की आराजीयात हाल ख0नं0 1716 रकबा 65 ऐयर, 1717 रकबा 34 ऐयर, 1718 रकबा 22 ऐयर, 1719 रकबा 04 ऐयर, 1720 रकबा 30 ऐयर, 1721 रकबा 15 ऐयर, 1722 रकबा 28 ऐयर, जिसके सेटिलमेन्ट से पूर्व साविक ख0नं0 1763 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 1764 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 1765 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 1767 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा स्थित ग्राम निसूरा तह0 टोडाभीम का नामान्तकरण सं0 505 रेस्पोडेन्ट नं0 01 कल्याण के नाम रेस्पोडेन्ट नं0 01 को प्रभू का दत्तक पुत्र व उत्तराधिकारी बनाकंर गलत व विधि विरूद्ध तस्दीक कर दिया, जो गलत है। मृतक प्रभू पुत्र बीरबल लाऔलाद फौत हो गया। प्रभू ने अपने जीवन काल में रेस्पोडेन्ट नं0 01 कल्याण को कभी भी गोद नहीं लिया। प्रभू के मरने के पश्चात् प्रभू के कानूनी वारिसान अपीलान्टस नं0 01 व 02 तथा रेस्पोडेन्टस नं0 01 ता 03 जो मृतक प्रभू के तर्के पर काबिज है तथा मृतक प्रभू की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस सं0 01 ता 03 के पिता मोहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् मोहरसिंह की आराजीयात का नामान्तकरण सं0 501 तारीखी 01.07.2015 भी अपीलान्टस का रेस्पोडेन्टस नं0 01 ता 03 के नाम खोला गया। जिसमें रेस्पोडेन्टस नं0 01 ता 03 के पिता का नाम भी मोहरसिंह ही दर्ज है। तथा विधानसभा

जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

निर्वाचक नामावली 2009 के क्रम सं0 823 में भी रेस्पोडेन्ट नं0 01 के पिता का नाम मोहरसिंह ही दर्ज है। प्रभू ने कभी भी रेस्पोडेन्ट नं0 01 को दत्तक ग्रहण नहीं किया। इसलिये रेस्पोडेन्ट नं0 01 को दत्तक गृहण नही किया। इसलिये नामान्तकरण सं0 505 निस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं0 01 अपीलान्टस का सगा बडा भाई है। जो कर्ता खानदान होने के कारण रेस्पोडेन्ट नं0 01 ने स्वयं को प्रभू का दत्तक पुत्र बताकर सरपंच निसूरा से साजकर गुपचुप तरीके से अपीलान्टस की जानकार में लाये बिना प्रभू की आराजीयात का स्वयं को दत्तक पुत्र बताकर गलत नामान्तकरण सं0 505 खुलवा लिया। जबकि प्रभू ने रेस्पोडेन्ट नं0 01 को कभी गोद नहीं लिया। इसलिये नामान्तकरण सं0 505 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.07.2015 को प्रभू पुत्र बीरबल द्वारा छोडी गयी आराजी पर अपने हिस्से की जमीन पर केडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी से फाइल बनाने की कहने पर उक्त गलत नामान्तकरण सं0 505 की जानकारी हुई। अपीलान्ट ने इस बारे में रेस्पोडेन्ट नं0 01 से कहा कि तुमने प्रभू का स्वयं को गलत पुत्र बताकर स्वयं अकेले के नाम नामान्तकरण क्यों खुलवाया है तो रेस्पोडेन्ट नं0 01 ने उक्त जमीन को विक्रय कर अपीलान्ट को बदेखल करने की धमकी दी। अपीलान्टस ने अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज नामान्तकरण सं0 505 तारीखी 01.06.1971 ग्राम पंचायत निसूरा, जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबन्दी खाता सं0 39 ग्राम निसूरा, हाल जमाबन्दी खाता सं0 353 ग्राम निसूरा, विधानसभा निर्वाचक नामावली 2009 विधानसभा मतदाता सूची 1998 पेश किये है। अधिवक्ता अपीलान्टस की बह सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत राजस्व

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मौखिक बहस व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट नं0 01 द्वारा मृतक प्रभू पुत्र बीरबल की आराजी का स्वयं को गलत रूप से नामान्तकरण सं0 505 तारीखी 01.06.1971 खुलवाया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। नामान्तकरण सं0 505 तारीखी 01.06.1971 ग्राम पंचायत निसूरा तह0 टोडाभीम को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः नामान्तकरण सं0 505 तारीखी 01.06.1971 ग्राम पंचायत निसूरा तह0 टोडाभीम जो रेस्पोडेन्ट नं0 01 कल्याण के हक में खोला गया था, को निरस्त किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि प्रभू पुत्र बीरबल की आराजी का नामान्तकरण अपीलान्टस नं0 01 व 02 तथा रेस्पोडेन्ट नं0 01 ता 03 के नाम खोला जावें। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति के साथ अलग से तहरीर जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner